कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

क्रमांक / सामान्य / 2019 / 2991 राजगढ़, दिनांक 08/08/2019

प्रति,

प्राचार्य / प्रधानाध्यापक समस्त
अशासकीय प्राथमिक / माध्यमिक / हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी
जिला राजगढ़

विषय – प्री–प्रायमरी (नर्सरी से यू.के.जी.) कक्षाओं में छात्रों हेतु दैनिक घण्टे निर्धारण बाबत् ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये आवश्यक है कि प्री प्रायमरी कक्षाओं में बच्चों पर शिक्षण एंव गृह कार्य का अधिक भार न डाला जाए । कई शालाओं की प्री प्रायमरी कक्षाओं में 5 से 6 घण्टे शिक्षण कार्य कराया जाता है एवं गृहकार्य भी दिया जाता है । इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास बाधित होकर बचपन भी प्रभावित होता है ।

अतः शालाओं की प्री प्रायमरी कक्षाओं हेतु शाला समय 04 घण्टे से अधिक न रखा जाए ।

(निधि निवेदिता)
कलेक्टर
जिला राजगढ़

क्रमांक / सामान्य / 2019 / 2992 राजगढ़, दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपि–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु ।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी समस्त जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

(निधि निवेदिता)
कलेक्टर
जिला राजगढ़